न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली

प्रश्न 1: एमएसपी योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। इन चुनौतियों से निपटने और एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

उत्तर : न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना भारत में सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य किसानों की फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। हालाँकि, एमएसपी योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकता है।

एमएसपी योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त खरीद अवसंरचना:** किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित फसलों को संभालने के लिए सरकार का खरीद बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। इससे खरीद में देरी होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को फसल कटाई के बाद नुकसान हो सकता है।
- **अकुशल वितरण प्रणाली:** खरीदी गई फसलों के लिए वितरण प्रणाली अक्सर अकुशल होती है, जिससे अनाज का रिसाव और अन्यत्र उपयोग होता है। इससे उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता कम हो सकती है और एमएसपी योजना की समग्र प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।
- **सरकार पर वित्तीय बोझ:** एमएसपी योजना सरकार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डालती है, क्योंकि उसे रियायती कीमतों पर बड़ी मात्रा में फसलें खरीदनी और भंडारण करना पड़ता है। इससे सरकारी वित्त पर दबाव पड़ सकता है और अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो सकते हैं।
- **बाजार संकेतों का विरूपण:** एमएसपी योजना बाजार के संकेतों को विकृत कर सकती है, क्योंकि किसानों को उन फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है जिनके लिए एमएसपी की गारंटी है, भले ही बाजार में उन फसलों की मजबूत मांग न हो। इससे आपूर्ति और मांग में असंतुलन पैदा हो सकता है और समग्र कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

चुनौतियों से निपटने और एमएसपी को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय:–

- **खरीद के बुनियादी ढांचे में सुधार:** सरकार को भंडारण सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क सहित अपने खरीद बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में निवेश करना चाहिए। इससे फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि किसान अपनी फसलें एमएसपी पर बेच सकें।
- **सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली:** सरकार को अनाज के रिसाव और डायवर्जन को खत्म करने के लिए खरीदी गई फसलों के लिए वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए। यह अनाज की बेहतर निगरानी और ट्रैकिंग के साथ-साथ दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जा सकता है।
- **विशिष्ट फसलों के लिए लक्षित एमएसपी:** सरकार को एमएसपी को उन विशिष्ट फसलों पर लक्षित करना चाहिए जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं या जिन्हें बाजार की स्थितियों के कारण समर्थन की आवश्यकता है। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने और एमएसपी योजना को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
- **बाजार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा दें:** सरकार को मूल्य समर्थन के लिए वायदा कारोबार और मूल्य बीमा जैसे बाजार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे एमएसपी पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है और किसानों को मूल्य जोखिमों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सकता है।
- **किसान संगठनों को सशक्त बनाएं:** सरकार को एमएसपी योजना के कार्यान्वयन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए किसान संगठनों को सशक्त बनाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि किसानों की आवाज सुनी जाए और यह योजना उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है।
- **एमएसपी निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाएं:** सरकार को विस्तृत मानदंड प्रकाशित करके और सार्वजनिक परामर्श के अवसर प्रदान करके एमएसपी निर्धारण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए।

- **शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करें:** सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना चाहिए कि किसानों के पास एमएसपी कार्यान्वयन से संबंधित उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक तंत्र हो।
- **फसल विविधीकरण को बढ़ावा दें:** सरकार को एमएसपी पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों के बीच फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और उन्हें बाजार की मांग के आधार पर फसलों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **कृषि अनुसंधान और विस्तार में निवेश करें:** सरकार को उत्पादकता में सुधार और किसानों के लिए लागत कम करने के लिए कृषि अनुसंधान और विस्तार में निवेश करना चाहिए, जिससे वे एमएसपी पर कम निर्भर हों।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें:** सरकार को किसानों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार करने के लिए कृषि उपज की खरीद और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- इन चुनौतियों का समाधान करके और उपरोक्त उपायों को लागू करके, सरकार किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने और भारत में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में एमएसपी योजना को और अधिक प्रभावी बना सकती है।

●

प्रश्न 2 : जलवायु परिवर्तन और कृषि उत्पादन पर इसके प्रभाव के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एमएसपी की भूमिका पर चर्चा करें।

उत्तर: जलवायु परिवर्तन वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि इससे सूखे, बाढ़ और गर्मी की लहरों जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होने की उम्मीद है। इन घटनाओं का कृषि उत्पादन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे पैदावार कम हो सकती है, फसल खराब हो सकती है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो सकता है।

- इस संदर्भ में, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना किसानों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करके और यह सुनिश्चित करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। एमएसपी योजना कई तरीकों से कृषि उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है।
- **वित्तीय स्थिरता प्रदान करना:** एमएसपी किसानों को बाजार की स्थितियों की परवाह किए बिना उनकी फसलों के लिए गारंटीकृत मूल्य प्रदान करता है। यह वित्तीय स्थिरता किसानों को सूखा प्रतिरोधी बीज और जल संरक्षण तकनीकों जैसी जलवायु-लचीली कृषि पद्धतियों में निवेश करने में मदद कर सकती है।
- **जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना:** एमएसपी किसानों को जोखिम लेने और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें अपनी फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी होगी। इससे नवाचार को बढ़ावा देने और जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद मिल सकती है।
- **विविधीकरण को बढ़ावा देना:** एमएसपी किसानों को अपनी फसल उत्पादन में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करने में मदद मिल सकती है। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाकर, किसान अपना जोखिम फैला सकते हैं और यदि जलवायु-संबंधित कारकों के कारण एक फसल विफल हो जाती है, तो उनकी आय का पूरा नुकसान होने की संभावना कम होती है।
- **लचीलापन बढ़ाना:** एमएसपी किसानों को सिंचाई प्रणाली और भंडारण सुविधाओं जैसे जलवायु-अनुकूली बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बनाने में मदद कर सकता है।

हालाँकि, एमएसपी योजना को जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है:-

- **उत्पादन में अनिश्चितताएँ:** जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करना कठिन हो रहा है, जिससे सरकार के लिए एमएसपी निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो किसानों के लिए उचित और उपभोक्ताओं के लिए किफायती हो।
- **अनुकूलन की आवश्यकता:** बदलती जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी योजना को अनुकूलित करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे क्षेत्रीय जलवायु अनुमानों पर आधारित एमएसपी निर्धारित करना और जलवायु-लचीली प्रथाओं को अपनाने में किसानों का समर्थन करना।
- **वित्तीय बोझ:** एमएसपी सरकार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डाल सकता है, क्योंकि उसे रियायती कीमतों पर बड़ी मात्रा में फसलों की खरीद और भंडारण करना पड़ता है। यह बोझ बढ़ सकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार और कीमतों में परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है।

इन चुनौतियों के बावजूद, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी योजना एक महत्वपूर्ण उपकरण बनी हुई है। वित्तीय स्थिरता प्रदान करके, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करके, विविधीकरण को बढ़ावा देकर और लचीलेपन को बढ़ाकर, एमएसपी किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और देश की बढ़ती आबादी के लिए भोजन का उत्पादन जारी रखने में मदद कर सकता है।

एमएसपी योजना के अलावा, सरकार जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय भी कर सकती है, जैसे:-

- **कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** जलवायु-लचीली फसलों और प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करने से किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- **सिंचाई के बुनियादी ढांचे में सुधार:** सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुधार किसानों को सूखे और पानी की कमी से निपटने में मदद कर सकता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण आम होता जा रहा है।
- **जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना:** संरक्षण कृषि और कृषि वानिकी जैसी जलवायु-स्मार्ट कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देने से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, पानी का संरक्षण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **किसान संगठनों का समर्थन:** किसान संगठनों का समर्थन करने से किसानों को जानकारी, संसाधनों और बाजारों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, और उनकी सौदेबाजी की शक्ति भी मजबूत हो सकती है।

एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करके जिसमें एमएसपी योजना, कृषि अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में निवेश, जलवायु-स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना और किसान संगठनों के लिए समर्थन शामिल है, भारत जलवायु परिवर्तन की स्थिति में अपनी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

●

प्रश्न 3: भारत में पीडीएस के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें, जिनमें भ्रष्टाचार, आपूर्ति में बदलाव और खराब लक्ष्यीकरण शामिल हैं। इन चुनौतियों से निपटने और पीडीएस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं?

उत्तर: निश्चित रूप से, यहां भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सामने आने वाली चुनौतियों की व्यापक चर्चा है, जिसमें भ्रष्टाचार, आपूर्ति का विचलन और खराब लक्ष्यीकरण शामिल है, और इन चुनौतियों का समाधान करने और पीडीएस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

भारत में पीडीएस के समक्ष चुनौतियाँ:-

1. **भ्रष्टाचार:** पीडीएस में भ्रष्टाचार एक व्यापक मुद्दा है, जिसके कारण सब्सिडी वाले खाद्यान्न का रिसाव और हेराफेरी होती है। इससे वास्तविक लाभार्थियों को उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा में काफी कमी आ सकती है, जिससे पीडीएस के उद्देश्य कमजोर हो सकते हैं।
2. **आपूर्ति का विचलन:** पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए आने वाले खाद्यान्नों को अक्सर खुले बाजार में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें उच्च कीमतों पर बेचा जा सकता है। इस विचलन से पीडीएस लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की कमी हो सकती है और मूल्य मुद्रास्फीति में योगदान हो सकता है।
3. **खराब लक्ष्यीकरण:** पीडीएस अक्सर सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवारों तक पहुंचने में विफल रहता है, जिन्हें इसके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह गलत लाभार्थी सूचियों, पात्र परिवारों के बहिष्कार और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) तक पहुंच की कमी के कारण हो सकता है।
4. **अकुशल भंडारण एवं परिवहन:** अपर्याप्त भंडारण और परिवहन बुनियादी ढांचे से फसल के बाद नुकसान हो सकता है और खाद्यान्न की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। इससे वितरण के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा और गुणवत्ता कम हो जाती है, जिससे पीडीएस की प्रभावशीलता और कम हो जाती है।
5. **अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र:** पीडीएस में खाद्यान्न की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता के संबंध में लाभार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है। इससे लाभार्थियों में निराशा और असंतोष पैदा हो सकता है, जिससे सिस्टम में उनका भरोसा कम हो सकता है।

- **चुनौतियों से निपटने और पीडीएस को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय:**

1. **डिजिटलीकरण और स्वचालन:** लाभार्थियों के रिकॉर्ड, खाद्यान्न आवंटन और लेनदेन का डिजिटलीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर भ्रष्टाचार और आपूर्ति के विचलन को कम करने में मदद कर सकता है। प्रक्रियाओं के स्वचालन से दक्षता में और सुधार हो सकता है और त्रुटियाँ कम हो सकती हैं।
2. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** डीबीटी, जिसमें नकद सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित करना शामिल है, खाद्यान्न के भौतिक वितरण को दरकिनार करके भ्रष्टाचार और डायवर्जन को खत्म करने में मदद कर सकता है। यह लाभार्थियों को खुले बाजार से खाद्यान्न चुनने और खरीदने का अधिकार भी देता है।
3. **राशन कार्डों की आधार सीडिंग:** आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने से डुप्लिकेट और अयोग्य लाभार्थियों को खत्म करने में मदद मिल सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पीडीएस केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके लाभों के हकदार हैं।
4. **उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को सुदृढ़ बनाना:** एफपीएस बुनियादी ढांचे में सुधार, एफपीएस मालिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और दूरदराज के क्षेत्रों में एफपीएस की संख्या में वृद्धि से सेवा की गुणवत्ता, पहुंच और दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
5. **खाद्यान्नों का पोषण मूल्य बढ़ाना:** आवश्यक विटामिन और खनिजों से समृद्ध फोर्टिफाइड खाद्यान्न के वितरण को बढ़ावा देने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और लाभार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

6. **सामाजिक लेखापरीक्षा और सार्वजनिक भागीदारी:** नियमित सामाजिक ऑडिट करने और पीडीएस संचालन की निगरानी में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से अनियमितताओं की पहचान करने और उनका समाधान करने, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

7. **शिकायत निवारण तंत्र में सुधार:** ऑनलाइन पोर्टल और टोल-फ्री हेल्पलाइन जैसे प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने से लाभार्थियों को शिकायत दर्ज करने और समाधान खोजने के लिए एक त्वरित और सुलभ मंच प्रदान किया जा सकता है।

8. **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** पीडीएस अधिकारियों, एफपीएस मालिकों और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने से पीडीएस प्रक्रियाओं के बारे में उनकी समझ बढ़ सकती है, सेवा वितरण में सुधार हो सकता है और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है।

9. **मांग-संचालित दृष्टिकोण:** लाभार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पीडीएस संचालन को तैयार करने से इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बढ़ सकती है। इसमें वितरित खाद्यान्न के प्रकार और वितरण के समय को अपनाना शामिल हो सकता है।

10. **सतत निगरानी और मूल्यांकन:** पीडीएस के प्रदर्शन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और डेटा-संचालित सुधारों को लागू करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि सिस्टम अपने लाभार्थियों की जरूरतों के प्रति प्रभावी और उत्तरदायी बना रहे।

इन चुनौतियों का समाधान करके और प्रस्तावित उपायों को लागू करके, पीडीएस को अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली में बदला जा सकता है जो भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी कम करने के अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करती है।

●

प्रश्न 4: पीडीएस पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के प्रभाव और इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें।

उत्तर: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पुनर्जीवित करने और इसकी दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सुधार पहल है। डीबीटी का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण के साथ सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण को प्रतिस्थापित करना है, जिससे वे खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद सकें।

पीडीएस पर डीबीटी का प्रभाव:

1. **भ्रष्टाचार में कमी और आपूर्ति का विचलन:** डीबीटी ने बिचौलियों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है और भ्रष्टाचार के अवसरों को कम कर दिया है, क्योंकि नकद हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचता है। इससे उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) से खुले बाजार में सब्सिडी वाले खाद्यान्न का स्थानांतरण कम हो गया है।

2. **लाभार्थियों का सशक्तिकरण:** डीबीटी लाभार्थियों को उनकी प्राथमिकताओं और जरूरतों के आधार पर खुले बाजारों से खाद्यान्न खरीदने में अधिक विकल्प और लचीलापन प्रदान करता है। यह उन्हें सूचित निर्णय लेने और विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्पों तक पहुंचने का अधिकार देता है।

3. **बेहतर दक्षता और पारदर्शिता:** डीबीटी ने खाद्यान्नों की भौतिक हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन को समाप्त करके, प्रशासनिक लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करके पीडीएस संचालन को सुव्यवस्थित किया है। इसके अलावा, नकद हस्तांतरण की डिजिटल प्रकृति पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता को बढ़ाती है।

4. **फसल कटाई के बाद के नुकसान में कमी:** डीबीटी ने खाद्यान्नों के भंडारण और परिवहन से जुड़े फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम कर दिया है, क्योंकि खरीद की जिम्मेदारी अब लाभार्थियों पर है। इससे खाद्यान्न की गुणवत्ता और उपलब्ध ता में सुधार हुआ है।

5. **उन्नत वित्तीय समावेशन:** डीबीटी ने लाभार्थियों को बैंक खाते खोलने और डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। इससे वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो गई है और व्यापक वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में योगदान मिला है।

इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचने में डीबीटी की प्रभावशीलता:

1. **आधार सीडिंग और लक्षित वितरण:** आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने में मदद मिली है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि डीबीटी इच्छित घरों तक पहुंचे।

2. **प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और पहुंच:** लाभार्थियों के खातों में सीधे नकद हस्तांतरण से पहुंच में सुधार हुआ है, खासकर दूरदराज के इलाकों में या सीमित गतिशीलता वाले लोगों के लिए।

3. **एफपीएस पर निर्भरता कम:** डीबीटी ने एफपीएस पर निर्भरता कम कर दी है, जो अक्सर अनियमितताओं और अक्षमताओं से ग्रस्त थे। लाभार्थियों को अब अपने पसंदीदा खुदरा विक्रेताओं को चुनने की आजादी है, जिससे सुविधा और उपलब्धता बढ़ गई है।

4. **विकल्प के माध्यम से सशक्तिकरण:** डीबीटी ने लाभार्थियों को खरीद के लिए खाद्यान्न का विकल्प प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है, जिससे वे अपने भोजन की खपत को अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप बना सकते हैं।
5. **बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** डीबीटी ने खुले बाजार में नकदी डाली है, जिससे मांग बढ़ी है और खुदरा विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। इससे संभावित रूप से लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की बेहतर कीमतें और गुणवत्ता प्राप्त हुई है।

डीबीटी की चुनौतियाँ और सीमाएँ:

1. **डिजिटल साक्षरता और बुनियादी ढाँचा अंतराल:** डीबीटी के लिए लाभार्थियों को डिजिटल बुनियादी ढांचे और बुनियादी डिजिटल साक्षरता तक पहुंच की आवश्यकता होती है। यह सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी अपनाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौतियां पैदा कर सकता है।
2. **खुले बाजार में मूल्य निर्धारण में अस्थिरता:** लाभार्थियों को खुले बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उनकी क्रय शक्ति और भोजन तक पहुंच को प्रभावित कर सकता है।
3. **निगरानी और शिकायत निवारण:** प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि डीबीटी को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।
4. **पोषण संबंधी बातें:** डीबीटी को यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता हो सकती है कि लाभार्थी सूचित विकल्प चुनें और संतुलित आहार का उपभोग करें।

डीबीटी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सिफारिशें:

1. **वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग पहुंच:** बढ़ानाग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग पहुंच यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभार्थी डीबीटी का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
2. **मूल्य स्थिरीकरण के उपाय:** डीबीटी लाभार्थियों पर खुले बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक और मूल्य निगरानी जैसे मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करें।
3. **पोषण संबंधी जागरूकता और शिक्षा:** लाभार्थियों के बीच पोषण संबंधी जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना ताकि उन्हें सूचित भोजन विकल्प चुनने और आवश्यक पोषक तत्वों का पर्याप्त सेवन सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन मिल सके।
4. **बाजार निगरानी और नियामक ढाँचा:** खुदरा विक्रेताओं द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को रोकने और डीबीटी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत बाजार निगरानी और नियामक ढांचा स्थापित करें।

☛ डीबीटी योजना पीडीएस में एक परिवर्तनकारी सुधार के रूप में उभरी है, जो भ्रष्टाचार, अक्षमता और खराब लक्ष्यीकरण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करती है। जबकि डिजिटल साक्षरता, बुनियादी ढांचे और बाजार की अस्थिरता के मामले में चुनौतियां बनी हुई हैं, डीबीटी ने पीडीएस की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करने, लाभार्थियों को सशक्त बनाने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।

●

प्रश्न 5: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के संदर्भ में पीडीएस का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। डब्ल्यूटीओ मानदंडों का अनुपालन करते हुए सरकार अपने किसानों और पीडीएस की सुरक्षा कैसे कर सकती है?

उत्तर: भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाखों परिवारों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, पीडीएस को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत जांच का सामना करना पड़ा है, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों के साथ इसकी अनुकूलता के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

पीडीएस के लिए डब्ल्यूटीओ नियम और चुनौतियाँ:

☛ डब्ल्यूटीओ का कृषि पर समझौता (एओए) कृषि उत्पादों के लिए सब्सिडी सहित घरेलू समर्थन उपायों के उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकृतियों को रोकना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। पीडीएस, अपने मूल्य समर्थन तंत्र और खाद्यान्न की खरीद के साथ, इन डब्ल्यूटीओ नियमों के संभावित उल्लंघन के बारे में चिंता पैदा करता है।

☛ विशेष रूप से, पीडीएस की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना, जो कुछ फसलों के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है, को घरेलू समर्थन के एक रूप के रूप में देखा जाता है जो व्यापार को विकृत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पीडीएस द्वारा खाद्यान्न की खरीद और भंडारण को निर्यात सब्सिडी के रूप में समझा जा सकता है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यातकों को अनुचित लाभ पहुंचाता है।

विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों और पीडीएस उद्देश्यों को संतुलित करना:

☛ भारत सरकार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने किसानों की सुरक्षा के अपने घरेलू नीति उद्देश्यों के साथ डब्ल्यूटीओ के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दायित्वों को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण के लिए डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन करना आवश्यक है, पीडीएस की सुरक्षा और कमजोर आबादी का समर्थन करने में इसकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

डब्ल्यूटीओ मानदंडों का अनुपालन करते हुए किसानों और पीडीएस की सुरक्षा के लिए रणनीतियाँ:

1. **लक्षित समर्थन:** एमएसपी और खरीद पर विशेष फसलों पर ध्यान केंद्रित करें जो खाद्य सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं। इससे समग्र सब्सिडी लागत कम हो सकती है और पीडीएस अधिक डब्ल्यूटीओ-अनुपालक बन सकती है।
2. **बाजार-आधारित दृष्टिकोण:** मूल्य समर्थन के लिए बाजार-आधारित दृष्टिकोणों का पता लगाएं, जैसे कि वायदा कारोबार और मूल्य बीमा, जो किसानों को मूल्य जोखिमों के प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं और एमएसपी पर निर्भरता कम करते हैं।
3. **ग्रीन बॉक्स सब्सिडी:** डब्ल्यूटीओ के ष्ग्रीन बॉक्सष् प्रावधानों का उपयोग करें, जो ऐसी सब्सिडी की अनुमति देता है जो व्यापार-विकृत और पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों और बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए सब्सिडी शामिल हो सकती है।
4. **पारदर्शिता और अधिसूचना:** डब्ल्यूटीओ को पीडीएस उपायों की पारदर्शिता और अधिसूचना बढ़ाना, उनके कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट औचित्य प्रदान करना और भारत के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के साथ उनके संरेखण को प्रदर्शित करना।
5. **विश्व व्यापार संगठन वार्ता में शामिल हों:** विकासशील देशों के लिए छूट और पीडीएस जैसे खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधानों की मांग के लिए डब्ल्यूटीओ वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल हों।
6. **घरेलू कृषि को मजबूत करें:** उत्पादकता में सुधार और सब्सिडी पर निर्भरता कम करने के लिए अनुसंधान और विकास, सिंचाई बुनियादी ढांचे और विस्तार सेवाओं सहित घरेलू कृषि को मजबूत करने में निवेश करें।
7. **विविधीकरण को बढ़ावा दें:** किसानों को एमएसपी के दायरे से परे अपने फसल उत्पादन में विविधता लाने, सब्सिडी वाली फसलों पर निर्भरता कम करने और बाजार-उन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करें।
8. **किसान संगठनों को सशक्त बनाएं:** किसानों को नीतिगत निर्णयों में एक मजबूत आवाज देने और बाजार में उनकी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने के लिए किसान संगठनों के विकास और सशक्तिकरण का समर्थन करें।
9. **पोषण संवर्धन:** लाभार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पीडीएस के माध्यम से वितरित खाद्यान्न के पोषण मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें।
10. **जाचना और परखना:** पीडीएस की प्रभावशीलता की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन करें, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि यह भारत की खाद्य सुरक्षा और डब्ल्यूटीओ दायित्वों के अनुरूप बना रहे।

☞ इन रणनीतियों को लागू करके, भारत सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने किसानों के हितों की रक्षा करने में पीडीएस की भूमिका को संरक्षित करते हुए डब्ल्यूटीओ द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकती है।

❑❑❑

Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR